UPPB010028142024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी / एस0टी0 अधिनियम), पीलीभीत।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0.–324 / 2024

मुकदमा अपराध संख्या– 122 / 2023

सावित्री देवी **बनाम** अंकित आदि।

अन्तर्गत धारा– 452, 376, 504, 506
भा.द.सं. एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)5ए
एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट
थाना–बीसलपुर,, पीलीभीत।

दिनांक: 03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना बीसलपुर की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.03.2023 को अंतर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध 3(2)5 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट अभियुक्तगण अंकित व कमलेश के विरूद्ध दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा उपरांत वादिनी सावित्री देवी द्वारा मुकदमा उपरोक्त पेशबंदी में लिखाया जाना पाया गया तथा तमामी बयानात के आधार पर गांव में इस प्रकार की घटना का होना नहीं पाया गया। मामले के विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत प्रथमदृष्टया संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध न पाते हुए साक्ष्य के आभाव में अंतिम रिपोर्ट सं. 40 / 2023 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

विवेचक द्वारा प्रेषित उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र ख–14 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि पत्रावली काफी समय से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के सुनवाई पर नियत चल रही है, परन्तु वादिनी व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया जा रहा है। वादिनी की ओर से लगभग 08 तारीखों से लगातार हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वादी को पूर्व नियत तिथि पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर बल दिये जाने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। वादिनी आज अनुपस्थित है और उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मामले की कार्यवाही संचालित करने में कोई रूचि नहीं है तथा न ही वादिनी मुकदमा लड़ना चाहती है। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 122 / 2023 अंतर्गत धारा 452, 376, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)5 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट सं. 40 / 2023 थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत तद्नुसार स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम),
पीलीभीत

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.08.03 16:19:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court